

भारत में ओपन जेलें

प्रलिस के लयि:

ओपन जेलें, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, भारत में जेलों के प्रकार

मेन्स के लयि:

ओपन जेल की अवधारणा और वशिषताएँ, जेल में भीड़भाड़ पर खुली जेलों का प्रभाव, भारतीय जेलें और संबंधित मुद्दे।

स्रोत: द हट्टि

चर्चा में क्यों?

भारत के सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court- SC) ने हाल ही में कई राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों (Union Territories- UT) को अपने अधिकार क्षेत्र में ओपन जेलों की कार्यप्रणाली के संबंध में व्यापक वविरण उपलब्ध कराने का नरिदेश दिया है।

- यह नरिदेश **जेलों में भीड़भाड़** के बारे में जारी चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए आया है, जसि मामले ने न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया है।

सर्वोच्च न्यायालय ओपन जेलों पर क्यों ध्यान केंद्रति कर रहा है?

- जेलों में अत्यधिक भीड़:** सर्वोच्च न्यायालय पारंपरिक जेलों में अत्यधिक भीड़ की दीर्घकालिक समस्या के समाधान के लयि ओपन जेलों को एक संभावित समाधान के रूप में देखता है।
 - इस अवधारणा का उद्देश्य **मनोवैज्ञानिक तनाव को कम करना** है, जसिका सामना दोषियों को कारावास के बाद सामान्य जीवन में पुनः शामिल होने के दौरान करना पड़ता है।
 - कुछ कैदियों को खुली हवा वाली सुवधियों में स्थानांतरित करने से उच्च सुरक्षा वाली, बंद जेलों में कुल आबादी कम हो जाती है **कैदियों का यह पुनर्वविरण पारंपरिक जेलों पर दबाव को कम करता है, जहाँ अक्सर अत्यधिक भीड़भाड़ होती है।**
- अनुपालन सुनिश्चित करने में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका:** ओपन जेलों के कार्यप्रणाली पर व्यापक जानकारी की आवश्यकता पर बल देकर, सर्वोच्च न्यायालय का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य और केंद्रशासित प्रदेश अपने सुधारात्मक प्रणालियों के हसिसे के रूप में इस मॉडल को सक्रिय रूप से लागू कर रहे हैं।
 - न्यायालय का ध्यान कैदियों के अधिकारों के संरक्षण की देख-रेख करने तथा अधिक प्रभावी जेल प्रबंधन को बढ़ावा देने के उसके व्यापक अधदिश को भी दर्शाता है।

ओपन जेलें क्या हैं?

- सेमी-ओपन या ओपन जेलें सुधारात्मक सुवधियाँ हैं, जनिहें पारंपरिक ऊँची दीवारों, काँटेदार तारों और सशस्त्र गार्डों के बनिा बनाया गया है। पारंपरिक बंद जेलों के वपिरीत ये जेलें **कैदियों के आत्म-अनुशासन और सामुदायिक सहभागिता पर आधारित होती हैं। न्याय के सुधारात्मक सदिधांत पर आधारित ओपन जेलें, कैदियों को केवल दंडति करने के अतरिकित उनके पुनर्वास पर ध्यान केंद्रति करती हैं। यह दृष्टिकोण आत्म-अनुशासन और सामुदायिक एकीकरण के माध्यम से कैदियों को कानून का पालन करने वाले नागरिकों में परिवर्तित करने पर ज़ोर देता है।**
- ऐतहासिक संदर्भ:** भारत में पहली ओपन जेल वर्ष **1905 में बॉम्बे प्रेसीडेंसी में स्थापति की गई** थी, जसिमें शुरु में कैदियों को सार्वजनिक कार्यों के लयि अवैतनिक श्रमिक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था।
 - समय के साथ यह अवधारणा वकिसति हुई, जसिमें **नविवारण से ज़्यादा सुधार पर ज़ोर** दिया गया। आज़ादी के बाद वर्ष **1949 में लखनऊ में पहली ओपन जेल एनेक्सी स्थापति** की गई, जसिके बाद वर्ष 1953 में एक पूर्ण सुवधि वाली जेल बनाई गई, जहाँ कैदियों ने चंद्रप्रभा बाँध बनाने में मदद की।
 - स्वतंत्रता के बाद जेलों की अमानवीय स्थितियों के संबंध में **संवैधानिक न्यायालय के फैसलों ने जेल प्रबंधन में बदलाव को प्रेरित किया तथा सुधार और पुनर्वास पर ज़ोर दिया।**

- न्यायालयों ने राज्यों से उचित वेतन सुनिश्चित करने और पुनः एकीकरण का समर्थन करने का आग्रह किया, जिसके परिणामस्वरूप सुधारात्मक दृष्टिकोण के रूप में ओपन जेलों का उदय हुआ।
- **वशिष्टताएँ:** कैदियों को कुछ घंटों के दौरान जेल से बाहर जाने की स्वतंत्रता होती है और उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे काम के माध्यम से अपना और अपने परिवार का भरण-पोषण करेंगे।
 - राजस्थान ओपन एयर कैप नयिम, 1972 में ओपन जेलों को "बनिा दीवारों, सलाखों और तालों वाली जेल" के रूप में परिभाषित किया गया है। कैदियों को जेल से बाहर निकलने के बाद दूसरी हाजिरी से पहले लौटना होता है।
- **ओपन जेलों के प्रकार:** मॉडल जेल मैनुअल भारत में ओपन जेल संस्थाओं को तीन प्रकारों में वर्गीकृत करता है:
 - **सेमी-ओपन प्रशिक्षण संस्थान:** ये संस्थान मध्यम सुरक्षा के साथ बंद जेलों से जुड़े होते हैं।
 - **ओपन प्रशिक्षण संस्थान/कार्य शिविर:** सार्वजनिक कार्यों और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करना।
 - **ओपन कॉलोनियाँ:** परिवार के सदस्यों को रोजगार और आत्मनिर्भरता के अवसर प्रदान करते हुए कैदियों के साथ रहने की अनुमति देती हैं।
- **पात्रता:** प्रत्येक राज्य का कानून उन कैदियों की पात्रता मानदंड को परिभाषित करता है, जिन्हें ओपन जेल में रखा जा सकता है।
 - मुख्य नयिम यह है कि **खुली हवा वाली जेल के लिये पात्र कैदी को दोषी करार दिया जाना चाहिये। जेल में अच्छा आचरण और नयित्तरति जेल में कम-से-कम पाँच वर्ष गुजारना** राजस्थान की ओपन जेलों के नयिमों का पालन करता है।
 - पश्चिम बंगाल में **जेल और पुलिस अधिकारियों की एक समति अच्छे आचरण वाले कैदियों का चयन करती** है, ताकि उन्हें ओपन जेलों में स्थानांतरित किया जा सके।
- **कानूनी ढाँचा:** जेलों और कैदियों का उल्लेख भारत के संविधान की **7वीं अनुसूची** की सूची II (राज्य सूची) की प्रविष्टि संख्या 4 में किया गया है। अतः यह राज्य का विषय है।
 - भारत में जेलों का संचालन कारागार अधिनियम, 1894 और बंदी अधिनियम, 1900 द्वारा होता है तथा प्रत्येक राज्य अपने जेल नयिमों और नयिमावलयों का पालन करता है।
- **अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य:** ओपन जेलें सदियों से वैश्विक सुधार व्यवस्था का हिस्सा रही हैं। शुरुआती उदाहरणों में **स्वटिज़रलैंड का वटिज़वलि (1891) और यूके का न्यू हॉल कैप (1936) शामिल हैं।**
 - **संयुक्त राष्ट्र महासभा के नेल्सन मंडेला नयिम 2015** पुनर्वास में सहायता के लिये ओपन जेल प्रणाली का समर्थन करते हैं, तथा कैदियों के रोजगार और बाहरी संपर्क के अधिकार पर जोर देते हैं।
- **संस्तुतियाँ:** सर्वोच्च न्यायालय ने 1996 में **राममूरत बिनाम कर्नाटक राज्य मामले** में ओपन जेलों के विस्तार का समर्थन किया था। 1980 में **अखलि भारतीय जेल सुधार समति** सहित विभिन्न समतियों ने राज्यों में ओपन जेलों की स्थापना की संस्तुति की है।
 - **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Rights Commission- NHRC)** ने वर्ष 1994-95 और 2000-01 की अपनी कई वार्षिक रिपोर्टों में ओपन जेलों की आवश्यकता तथा जेलों में भीड़भाड़ की समस्या को हल करने के लिये इनके उपयोग का समर्थन किया था।

ओपन जेलों के क्या लाभ और हानि हैं?

श्रेणी	लाभ	हानि
लागत दक्षता	<ul style="list-style-type: none"> ■ बंद जेलों की तुलना में ओपन जेलों में परिचालन लागत में काफी कमी आती है। 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ओपन जेलों में आधुनिकीकरण की कमी है और धन अपर्याप्त है।
अधिक भीड़भाड़	<ul style="list-style-type: none"> ■ बंद जेलों में भीड़भाड़ को कम करने में सहायता करता है। 	<ul style="list-style-type: none"> ■ जागरूकता और स्वीकार्यता की कमी के कारण मौजूदा ओपन जेलों का कम उपयोग।
मनोवैज्ञानिक प्रभाव	<ul style="list-style-type: none"> ■ कैदियों के मनोवैज्ञानिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। 	<ul style="list-style-type: none"> ■ कुछ कैदी ओपन जेल के माहौल पर निर्भर हो जाते हैं और अपनी सजा पूरी करने के बाद भी अपने परिसर को खाली करने का विरोध करते हैं।
नयिकृतिरण	<ul style="list-style-type: none"> ■ बंद जेलों की तुलना में ओपन जेलों में 90% कम कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। 	<ul style="list-style-type: none"> ■ बंद जेलों में स्टाफ की कमी के कारण ओपन जेलों में स्टाफ की पुनः तैनाती करना कठिन हो जाता है।
पुनर्वास	<ul style="list-style-type: none"> ■ सुधारात्मक दंड और समाज में सफल एकीकरण को बढ़ावा देता है। 	<ul style="list-style-type: none"> ■ आधुनिक कानूनों और पुराने विधान (कैदी अधिनियम, 1894) की कमी तथा कई ओपन जेलों में विचाराधीन कैदियों के लिये कोई प्रावधान नहीं है। चूँकि जेल राज्य का विषय है, इसलिये ओपन जेलों के लिये नयिमों तथा दिशानिर्देशों में एकरूपता का अभाव है।
पुनरावृत्ति	<ul style="list-style-type: none"> ■ पुनरावृत्तिकी कम संभावना। 	<ul style="list-style-type: none"> ■ कुछ आलोचकों का तर्क है कि यह पुनरावृत्तिकी को महत्त्वपूर्ण रूप से नहीं रोकता है।
रोज़गार	<ul style="list-style-type: none"> ■ कैदियों को रोजगार खोजने के लिये प्रोत्साहित करता है। 	<ul style="list-style-type: none"> ■ कई ओपन जेलों के दूरदराज के स्थानों के कारण स्थानीय रोजगार खोजने में कठिनाई होती है।

सामाजिककरण	<ul style="list-style-type: none"> बाह्य विश्व के साथ सामाजिकीकरण और अंतःक्रिया को बढ़ाता है। 	<ul style="list-style-type: none"> कई राज्यों में महिला कैदियों के लिये कोई ओपन जेल नहीं है।
सुधारात्मक क्षमता	<ul style="list-style-type: none"> नैतिक विकास और सहकारी जीवन पर ध्यान केंद्रित करने वाले गांधीवादी आश्रमों की याद दिलाता है। 	<ul style="list-style-type: none"> कैदियों के लिये चयन प्रक्रिया कभी-कभी अपारदर्शी होती है, जिससे पक्षपात और भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं।
सामुदायिक प्रभाव	<ul style="list-style-type: none"> यह सभी प्रतभागियों के लिये लाभकारी है जिसमें अपराध के पीड़ित भी शामिल हैं जो अपराधियों में सुधार होते हुए देखते हैं। 	<ul style="list-style-type: none"> सुरक्षा और अनुशासन संबंधी चुनौतियाँ अभी भी मौजूद हो सकती हैं तथा कुछ लोग इस प्रणाली को बहुत उदार मानते हैं।

भारत में अन्य प्रकार की जेलें

- भारत में जेलों के तीन स्तर हैं: तालुका, ज़िला और केंद्रीय (क्षेत्रीय/रेंज) स्तर। इन स्तरों पर स्थिति जेलों को क्रमशः उप-जेल, ज़िला जेल और केंद्रीय जेल के रूप में जाना जाता है।
 - अन्य प्रकार की जेलें भी हैं जैसे महिला जेल, बोर्स्टल स्कूल और विशेष जेलें।
- केंद्रीय जेल:** केंद्रीय जेलों के लिये मानदंड विभिन्न राज्यों में अलग-अलग हैं, लेकिन उनमें सामान्यतः लंबी अवधि के कारावास की सजा पाए कैदियों को रखा जाता है, जिनमें अक्सर दो वर्ष से अधिक की सजा वाले कैदी शामिल हैं, जिनमें आजीवन कारावास की सजा वाले कैदी और जघन्य अपराध करने वाले कैदी भी शामिल हैं।
 - इन जेलों में कैदियों की नैतिकता और नष्टि को पुनः स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।
- ज़िला जेल:** ज़िला जेल उन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिये मुख्य जेल हैं, जहाँ कोई केंद्रीय जेल नहीं है।
- उप जेल:** ज़िला जेलों से छोटी, उप-मंडल स्तर पर अच्छी तरह से संगठित और बेहतर ढंग से स्थापित जेलें।
- विशेष जेल:** ये जेल अत्यधिक सुरक्षा वाली जेलें हैं, जिनमें **आतंकवाद, हसिक अपराध, आदतन अपराधी** और जेल अनुशासन के गंभीर उल्लंघन के दोषी विशेष वर्ग के कैदियों के लिये विशेष व्यवस्थाएँ हैं। ये जेलें हसिक और आक्रामक कैदियों को रखने के लिये जानी जाती हैं।
- महिला जेल:** ये जेलें विशेष रूप से महिला कैदियों के लिये, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु स्थापित की गई हैं और इनमें महिला कर्मचारी होती हैं। **राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB)** के जेल सांख्यिकी, 2022 के अनुसार भारत की 1,330 जेलों में से केवल 34 को महिला जेल के रूप में नामित किया गया है।
 - सीमति क्षमता के कारण कई महिला कैदियों को अन्य प्रकार की जेलों में रखा जाता है।
- बोर्स्टल स्कूल:** यह एक प्रकार का युवा नरोध केंद्र है। इसका उपयोग विशेष रूप से नाबालगों या कशोरों को रखने के लिये किया जाता है।
 - इन विद्यालयों का प्राथमिक उद्देश्य युवा अपराधियों की देखभाल, कल्याण और पुनर्वास सुनिश्चित करना है, जो बच्चों के लिये उपयुक्त वातावरण में हो तथा उन्हें जेल के संक्रामक वातावरण से दूर रखे।
- अन्य जेल:** जो जेलें ऊपर बताई गई श्रेणियों में नहीं आती हैं, वे अन्य जेलों की श्रेणी में आती हैं। केवल तीन राज्यों में अन्य जेल हैं।
 - इन राज्यों के नाम **कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र** हैं तथा प्रत्येक राज्य में एक अन्य जेल है।

?????? ???? ????:

प्रश्न. भारतीय जेल प्रणाली में ओपन जेलों की भूमिका पर चर्चा कीजिये। वे जेलों में भीड़भाड़ और कैदियों के पुनर्वास के मुद्दों को कैसे संबोधित करती हैं?

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

??????:

प्रश्न. मृत्यु दंडादेशों के लघुकरण में राष्ट्रपति के वलिंब के उदाहरण न्याय प्रत्याख्यान (डनियल) के रूप में लोक वाद-वविाद के अधीन आए हैं। क्या राष्ट्रपति द्वारा ऐसी याचिकाओं को स्वीकार करने/अस्वीकार करने के लिये एक समय सीमा का विशेष रूप से उल्लेख किया जाना चाहिये? वश्लेषण कीजिये। (2014)